न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 54/2017 राजस्व अपील

1. मूलचन्द पुत्र रामदेवा जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तह. सिकराय जिला दौसा
2. रामस्वरूप पुत्र रामदेवा जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तह. सिकराय जिला दौसा
3. रामसिंह पुत्र रामदेवा जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तह. सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 03.02.2016 न्यायालय उपतहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा प्रकरण उनवानी सरकार बनाम मूलचन्द आदि मु.न. 396/2016 अ.धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपर जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (दौसा) राजस्थान

उपस्थिति : श्री दयाराम गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

:— निर्णय :— दिनांकः 24.01.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मरियाडा द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 66/249 रकबा 0.45 है0 पर सरसो की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर कब्जा पश्चातवर्ती है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 03.02.2016 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 03.02.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रकरण संख्या : 54 / 2017 राजस्व अपील

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये बिना अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये व बिना पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना व बिना कोई अन्य कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिए पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से संबंधित कोई दस्तावेजात पत्रावली में उपलब्ध नही है। अपीलान्ट्स का किसी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नही है। इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 66 / 249 रकबा 0.45 है0 पर सरसों की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलाण्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 03.02.2016 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया की अपीलान्ट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर से अतिकमण हटा लिया गया है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिकमण नही करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 66 / 249 रकबा 0.45 है0 पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.02.2016 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा